भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2767 का उत्तर

महिला यात्रियों की संरक्षा/सुरक्षा

2767. श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय रेल में महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में महिला यात्रियों के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय रेल में महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुल कितना बजट आबंटन और व्यय किया गया है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

महिला यात्री की संरक्षा/सुरक्षा के संबंध में दिनांक 20.12.2023 को लोक सभा में श्री श्रीधर कोटागिरी के अतारांकित प्रश्न सं. 2767 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार के विषय हैं, और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है।

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय से रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।**
2. **भेद्य और अभिनिर्धारित मार्गों/रेलखंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन मार्गरक्षण की जा रही रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।**
3. **तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत है] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**
4. **रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि के द्वारा यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन किया जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके।**
5. **यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए शिक्षित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार-बार घोषणाएं की जाती हैं।**
6. **यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय करने हेतु शिक्षित करने के लिए नियमित आधार पर पोस्टरों, बैनरों, पर्चों के वितरण, रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) आदि पर वीडियो आदि द्वारा रेल परिसरों और रेलगाड़ियों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।**

s.k

7. 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, जहां लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री की पूरी यात्रा के दौरान अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा पर फोकसशुदा ध्यान दिया गया है।

8. क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं।

9. महिलाओं के लिए आरक्षित कंपार्टमेंट में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है।

10. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

2022 तक उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान भारतीय रेल में महिला यात्रियों के विरुद्ध अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। वर्ष 2020 और 2021 में अपराध के आंकड़ों पर तुलना के लिए विचार नहीं किया जाता है क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण यात्री रेलगाड़ी परिचालन रोक दिया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

देश में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्भया फंड का आबंटन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निर्भया फंड के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके अलावा, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के सभी पूर्वोपाय महिला यात्रियों के लिए भी लागू हैं।

******

s.k